



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **21-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार,थाना मैनाठेर ।

अवगत कराना है दिनांक 20/21.06.2025 की रात्रि को श्री आशीष कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी मुनेश पुत्र राम अवतार निवासी नानपुर थाना कुन्दरकी जिला मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-126/2025 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार आरोपी:-

मुनेश पुत्र राम अवतार निवासी नानपुर थाना कुन्दरकी जिला मुरादाबाद

बरामदगी:-

एक अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना मैनाठेर,मुरादाबाद।

का0 मनीष भाटी थाना मैनाठेर,मुरादाबाद ।

2-दो वारंटी को थाना मैनाठेर पुलिस ने किया गिरफ्तारा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण व वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 21.06.2025 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा वारंटी **1.कल्लू पुत्र नन्हू शेख निवासी ग्राम मसेबी रसूलपुर थाना मैनाठेर मुरादाबाद 2. लल्ला उर्फ शमीम पुत्र अफसर निवासी ग्राम ताहपुर थाना मैनाठेर मुरादाबाद** को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।



3- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 20 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा **20 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

थाना कटघर-01,थाना गलशहीद-01, थाना मझोला-04, थाना कांठ-01, थाना छजलैट-02, थाना ठाकुरद्वारा 01,थाना भोजपुर- 03, थाना बिलारी-03 ,थाना सोनकपुर-01,थाना मैनाठेर-03